



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2013 ई0

आश्विन 05, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 332/XXXVI(3)/2013/61(1)/2013

देहरादून, 27 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

“ भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013” पर दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 29 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2013

(अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2013)

31 मार्च, 2014 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित—

संक्षिप्त नाम	1— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2013-2014 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2013 है।
उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2013-14 के लिये रु0 48158477000 का दिया जाना	2— ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 48158477000 (रुपया चार हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।
विनियोग	3— इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01—	विधान सभा	राजस्व	12000	0	12000
		पूँजी	254500	0	254500
02—	राज्यपाल	राजस्व	0	3385	3385
		पूँजी	0	0	0
03—	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	213960	0	213960
		पूँजी	0	0	0
04—	न्याय प्रशासन	राजस्व	57781	0	57781
		पूँजी	0	0	0
06—	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	19681926	0	19681926
		पूँजी	0	0	0
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य	राजस्व	1560536	0	1560536
		पूँजी	4402650	0	4402650
08—	आवकारी	राजस्व	14850	0	14850
		पूँजी	0	0	0
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	228254	0	228254
		पूँजी	553965	0	553965
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	841365	0	841365
		पूँजी	1703083	0	1703083
12—	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	281417	0	281417
		पूँजी	164750	0	164750
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	1942420	0	1942420
		पूँजी	360000	0	360000
14—	सूचना	राजस्व	143100	0	143100
		पूँजी	0	0	0
15—	कल्याण योजनार्य	राजस्व	291947	0	291947
		पूँजी	158059	0	158059
16—	श्रम और रोजगार	राजस्व	293028	0	293028
		पूँजी	2000	0	2000
17—	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	866590	0	866590
		पूँजी	1715000	0	1715000
18—	सहकारिता	राजस्व	41787	0	41787
		पूँजी	38000	0	38000

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	75812	0	75812
		पूँजी	3000	0	3000
20—	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1253	0	1253
		पूँजी	4421590	0	4421590
21—	ऊर्जा	राजस्व	19406	0	19406
		पूँजी	225000	0	225000
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	63500	0	63500
		पूँजी	2337100	0	2337100
23—	उद्योग	राजस्व	217810	0	217810
		पूँजी	46427	0	46427
24—	परिवहन	राजस्व	111920	0	111920
		पूँजी	530000	0	530000
25—	खाद्य	राजस्व	165551	0	165551
		पूँजी	300000	0	300000
26—	पर्यटन	राजस्व	400	0	400
		पूँजी	5000	0	5000
27—	वन	राजस्व	257600	0	257600
		पूँजी	27200	0	27200
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	193789	0	193789
		पूँजी	25263	0	25263
29—	औद्योगिक विकास	राजस्व	36910	0	36910
		पूँजी	0	0	0
30—	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	884243	0	884243
		पूँजी	1540434	0	1540434
31—	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	299279	0	299279
		पूँजी	543637	0	543637
	योग—	राजस्व	28798434	3385	28801819
		पूँजी	19356658	0	19356658
	महायोग		48155092	3385	48158477

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट

प्रमुख सचिव।